गेल (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम – महारत्न कंपनी)
GAIL (India) Limited
(A Government of India Undertaking - A Maharatna Company)

आर. टी. – हरिद्वार
ज्वालापुर–249407
(उत्तराखण्ड)

R.T.-Haridwar
Jwalapur-249407
(Uttarakhand)

फैक्स / FAX : +91 11 26185941
info@gail.co.in

पत्रांक स० GAIL/HRDPL/PROJ/100/22 **दिनांक-31-01-2022**

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून।

विषय - **जनपद-देहरादून के ग्राम कुआंवाला में हरिद्वार-देहरादून राजमार्ग-72 के ROW के भीतर से गेल के प्रस्तावित गैस रिसीविंग टर्मिनल स्टेशन के लिये एप्रोच रोड के निर्माण हेतु 0.0132 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने हेतु।**

संदर्भ :- **आपका पत्रांक स० 178/FP/UK/APPROACH/47289/2020, दिनांक-17-07-2021 I**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आपके कार्यालय द्वारा विषयक प्रस्ताव के निरीक्षण उपरांत कुछ कमियां बताई गयी थी जिनका निराकरण कर प्रस्ताव पुनः मूल रूप में जमा किया जा रहा है। निराकरण की गयी त्रुटियों का विवरण निम्न है:-

Sr. No.	Queries raised from Forest Department	Compliance by GAIL
1	प्रस्ताव में विषय सूची में पृष्ठ संख्या अंकित नहीं की गयी है।	प्रस्ताव में विषय सूची में पृष्ठ संख्या अंकित कर दी गयी है।
2	प्रस्ताव में सलंग्न डिजिटल मानचित्र में Legend नहीं बनाया गया है। प्रस्तावित पहुँच मार्ग के आरंभिक एवं अंतिम बिंदु को अक्षाँत एवं देशांतर सहित प्रदर्शित नहीं किया गया है।	प्रस्ताव में सलंग्न डिजिटल मानचित्र में Legend दर्शा दिया गया है। प्रस्तावित पहुँच मार्ग के आरंभिक एवं अंतिम बिंदु को अक्षाँत एवं देशांतर सहित प्रदर्शित किया गया है एवं सम्बंधित सूचना Part-I में ऑनलाइन सलंग्न कर दी गयी है।
3	प्रस्ताव में प्रस्तावित पहुँच मार्ग नेशनल हाईवे-72 के ROW के अंतर्गत होने का उल्लेख किया गया है, परंतु एन० एच० ए० आई० की अनापत्ति सलंग्न नहीं की गयी है।	प्रस्ताव में प्रस्तावित पहुँच मार्ग नेशनल हाईवे-72 के ROW के होने अंतर्गत एन० एच० ए० आई० से अनापत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है जिसकी छायाप्रति सलंग्न कर दी की गयी है एवं सम्बंधित सूचना Part-I में ऑनलाइन सलंग्न कर दी गयी है।
4	प्रस्ताव में भू-वेज्ञानिक की आख्या सलंग्न नहीं की गयी है।	प्रस्ताव में भू-वेज्ञानिक की आख्या सलंग्न कर दी गयी है एवं सम्बंधित सूचना Part-I में ऑनलाइन सलंग्न कर दी गयी है।

Scanned with CamScanner

5	प्रस्तावित स्थल का स्थलीय विशिष्ट न होने का प्रमाण-पत्र सलंग्न किया गया है। स्थलीय विशिष्ट होने का प्रमाण-पत्र(प्रभागीय वनाधिकारी) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित सलंग्न करें।	स्थलीय विशिष्ट होने का प्रमाण-पत्र(प्रभागीय वनाधिकारी) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित सलंग्न कर दिया गया है एवं सम्बंधित सूचना Part-I में ऑनलाइन सलंग्न कर दी गयी है।
6	परियोजना स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण की योजना सलंग्न की जाए।	इस बिन्दु के सम्बद्ध में वन विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
7	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अभिलेख सलंग्न नहीं किये गए हैं।	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अभिलेख सलंग्न कर दिये गए हैं एवं सम्बंधित सूचना Part-I में ऑनलाइन सलंग्न कर दी गयी है।
8	परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि 30 वर्षों की लीज पर दी जानी प्रस्तावित है। अतः वन भूमि के मूल्य एवं वार्षिक लीज रेंट की जिलाधिकारी द्वारा पदत्त प्रमाण पत्र सलंग्न किया जाय।	वन भूमि के मूल्य एवं वार्षिक लीज रेंट की जिलाधिकारी द्वारा पदत्त प्रमाण पत्र सलंग्न कर दिया गया है एवं सम्बंधित सूचना Part-I में ऑनलाइन सलंग्न कर दी गयी है।
9	वन भूमि का मूल्य एवं लीज रेंट जमा किये जाने की वचनवद्ता सलंग्न की जाय।	वन भूमि का मूल्य एवं लीज रेंट जमा किये जाने की वचनवद्ता सलंग्न कर दी गयी है एवं सम्बंधित सूचना Part-I में ऑनलाइन सलंग्न कर दी गयी है।
10	प्रस्ताव में दिनांक 05-03-2015 तक वन भूमि में कोई गैर वानिकी कार्य न किये जाने का प्रमाण पत्र सलंग्न किया गया है। अद्यावधिक प्रमाण पत्र सलंग्न किया जाय।	अद्यावधिक प्रमाण पत्र सलंग्न किया गया है एवं सम्बंधित सूचना Part-I में ऑनलाइन सलंग्न कर दी गयी है।

कृप्या इस संदर्भ में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

बख्तावर सिंह

बख्तावर सिंह
उप महाप्रबन्धक (निर्माण)

Scanned with CamScanner